Ministry of Labour

विदेशी नागरिकों के लिए रोज़गार संरक्षण अधिनियम, 2009 (Employment Protection for Foreign Nationals Act, 2009) के तहत आपके अधिकार

अस्वीकरण: कर्मचारियों और नियोक्ताओं को विदेशी नागरिकों के लिए रोजगार संरक्षण अधिनियम, 2009 (Employment Protection for Foreign Nationals Act, 2009 (EPFNA)) और विनियमों के तहत स्थापित न्यूनतम अधिकार और दायित्वों को समझने में सहायता के लिए यह संसाधन तैयार किया गया है। यह क़ानूनी सलाह नहीं है। इसका अभिप्राय EPFNA या विनियमों को बदलना नहीं है और हमेशा क़ानून के आधिकारिक संस्करण का संदर्भ लिया जाना चाहिए। यद्यपि हम यह सुनिश्चित करने का प्रयास करते हैं कि इस साधन में मौजूद जानकारी यथासंभव वर्तमान और सटीक हो, पर कभी कभी त्रुटियाँ होती हैं। EPFNA केवल न्यूनतम मानक उपलब्ध करता है। कुछ कर्मचारियों के पास रोजगार अनुबंध, सामूहिक समझौता, सामान्य क़ानून या अन्य विधान के तहत अधिक अधिकार हो सकते हैं। नियोक्ता और कर्मचारी क़ानूनी सलाह प्राप्त करने के लिए प्रार्थना कर सकते हैं।

विदेशी नागरिकों के लिए रोज़गार संरक्षण अधिनियम (Employment Protection for Foreign Nationals Act), 2009 (EPFNA) उन विदेशी नागरिकों पर लागू होता है जो आव्रजन या विदेशी अस्थाई कर्मचारी कार्यक्रम के अनुसरण में ओंटारियों में काम कर रहे हैं या काम ढूँढ़ रहे हैं। उदाहरण के लिए, यदि आप संघीय अस्थाई विदेशी कामगार कार्यक्रम के माध्यम से ओंटारियो में काम कर रहे हैं या काम ढूँढ़ रहे हैं, तो संभवतः आप पर EPFNA लागू होगा।

यह सूचना पत्रक EPFNA के तहत आपके अधिकारों का सारांश प्रदान करता है। ओंटारियो में नियोजित विदेशी नागरिक के रूप में, आपके पास आम तौर पर रोजगार मानक अधिनियम, 2000 (Employment Standards Act, 2000) (ESA) के तहत भी अधिकार हैं। ESA न्यूनतम मज़दूरी और कार्य-समय की सीमाएँ जैसे मानक कवर करता है। EPFNA के तहत आने वाले कर्मचारियों को इस दस्तावेज़ के साथ ESA के तहत अधिकारों के बारे में सूचना पत्रक प्राप्त करने का अधिकार है।

Ontario

अन्य भाषाएँ

यदि आपकी प्रथम भाषा अंग्रेज़ी नहीं है, तो आपके नियोक्ता या भर्ती करने वाले को श्रम मंत्रालय से पता करना होगा कि क्या सूचना पत्रक आपकी प्रथम भाषा में उपलब्ध है, यदि है, तो आपको अनूदित संस्करण भी प्रदान करना होगा। अधिक जानकारी के लिए, कृपया Ontario.ca/EPFNA पर जाएँ।

भर्ती करने वाला आपसे कोई शुल्क नहीं ले सकता है

भर्ती करने वाला ऐसा कोई भी व्यक्ति है जो आपके लिए नौकरी ढूँढ़ता है या ढूँढ़ने का प्रयास करता है, आपको नौकरी पाने में दूसरे व्यक्ति की मदद करता है, या आपको किसी ऐसे व्यक्ति के पास भेजता है जो ओंटारियो में आपको रोज़गार ढूँढ़ने में मदद करे। भर्ती करने वाले व्यक्ति द्वारा आपको प्रदान की गई किसी सेवा, वस्तु या लाभ के लिए कोई शुल्क नहीं लिया जा सकता है। उदाहरण के लिए, वह आपसे नौकरी पाने, आपका श्रम बाज़ार प्रभाव आकलन (LMIA) या ओंटारियो में काम शुरू करने हेतु आपके लिए ज़रूरी किसी भी चीज़ के लिए शुल्क नहीं ले सकता है। आपसे अभिविन्यास, रेज़्यूमे लेखन, इन्टरव्यू की तैयारी, या प्राथमिक चिकित्सा प्रशिक्षण सत्रों जैसी अतिरिक्त सेवाओं के लिए शुल्क नहीं लिया जा सकता है, भले ही वे वैकल्पिक क्यों न हों। इसके अलावा, भर्ती करने वाले व्यक्ति की ओर से काम करने वाला कोई भी व्यक्ति आपसे इनमें से कोई शुल्क नहीं ले सकता है।

आपके नियोक्ता आपको भर्ती करने की लागत (सीमित अपवादों सहित) वसूल नहीं सकते हैं

आम तौर पर, यदि आपके नियोक्ता ने आपको भर्ती करने के लिए शुल्क का भुगतान किया हो या कोई अन्य खर्च किया हो, तो वह इन लागतों को आपसे वसूल नहीं सकता है और उन्हें आपकी मजदूरी से नहीं काट सकता है। इसमें सभी कार्य संबंधी प्रभार व शुल्कों की लागत शामिल है, जिसे आपसे वसूलने के लिए भर्ती करने वाले पर प्रतिबंध लगाया गया है, जैसे कि आपके Labour Market Impact Assessment (LMIA) के लिए। लेकिन, अगर आप संघीय सरकार के "मौसमी कृषि कामगार कार्यक्रम" ("Seasonal Agricultural Worker Program") (SAWP) के तहत नियोजित हैं, तो आपके नियोक्ता हवाई यात्रा की लागत और वर्क परमिट की लागत काट सकते हैं यदि SAWP रोजगार अनुबंध के तहत इन कटौतियों की अनुमति है।

आपकी भर्ती करने वाला व्यक्ति या नियोक्ता आपकी संपत्ति नहीं ले सकता है

आपकी भर्ती करने वाला व्यक्ति, आपका नियोक्ता, या उनमें से किसी की ओर से काम करने वाला व्यक्ति, किसी भी कारण से आपकी संपत्ति नहीं ले सकता या धारित नहीं कर सकता है। इसमें आपका पासपोर्ट या वर्क परमिट जैसे दस्तावेज़ शामिल हैं।

आप अपने अधिकारों को छोड़ने के लिए सहमत नहीं हो सकते हैं

आप आपकी भर्ती करने वाले व्यक्ति, आपके नियोक्ता, या उनमें से किसी की ओर से काम करने वाले व्यक्ति के लिए के EPFNA तहत अपने किसी अधिकार को छोड़ने के लिए सहमत नहीं हो सकते या किसी अनुबंध पर हस्ताक्षर नहीं कर सकते। ऐसा कोई भी समझौता अमान्य होगा। उदाहरण के लिए, यदि आपसे भर्ती शुल्क की वसूली के लिए आप किसी भर्ती करने वाले को अनुमति देने वाले अनुबंध पर हस्ताक्षर करते हैं, तो यह अनुबंध अमान्य होगा।

आपको अपने अधिकारों के बारे में पूछने या उनका प्रयोग करने के लिए दंडित नहीं किया जा सकता है

यदि आप ESA या EPFNA के तहत अपने अधिकारों के बारे में पूछते हैं या आपको अपना अधिकार दिए जाने की माँग करते हैं, तो आपकी भर्ती करने वाला व्यक्ति, आपका नियोक्ता, या उनमें से किसी की ओर से काम करने वाला व्यक्ति, आपको किसी भी प्रकार से दंडित नहीं कर सकता है, जिसमें आपके रोज़गार को ख़त्म करना भी शामिल है।

नियोक्ताओं / भर्तीकर्ताओं को निषेधित किया जाता है कि वे निम्नलिखित कार्यों के लिए कर्मचारियों / विदेशी नागरिकों को दण्डित ना करें ("उनके विरुद्ध प्रतिशोध की कार्यवाही ना करें"):

- किसी व्यक्ति को विदेशी नागरिकों के लिए रोजगार संरक्षण अधिनियम, 2009 का पालन करने के लिए कहना
- विदेशी नागरिकों के लिए रोजगार संरक्षण अधिनियम, 2009 के अन्तर्गत अधिकारों के बारे में पूछना,
- विदेशी नागरिकों के लिए रोजगार संरक्षण अधिनियम, 2009 के अन्तर्गत शिकायत दर्ज करना,
- विदेशी नागरिकों के लिए रोजगार संरक्षण अधिनियम, 2009 के अन्तर्गत किसी अधिकार का प्रयोग करना या अधिकार का प्रयोग करने का प्रयास करना, अथवा
- किसी नियोजन मानक अधिकारी को सूचना प्रदान करना
- विदेशी नागरिकों के लिए रोजगार संरक्षण अधिनियम, 2009 के अन्तर्गत किसी प्रोसिडिंग में सहभागिता करना,

यदि विदेशी नागरिकों के लिए रोजगार संरक्षण अधिनियम, 2009 के अन्तर्गत कवर्ड कोई विदेशी नागरिक उपरोक्त में से कोई कार्य करता है, तो इस कारण के चलते कोई नियोक्ता अथवा भर्तीकर्ता उसके साथ निम्नलिखित कार्य नहीं कर सकता है:

- वह कर्मचारी को नौकरी नहीं निकाल सकता है,
- वह कर्मचारी का वेतन नहीं कम कर सकता है,
- वह कर्मचारी को निरस्त नहीं कर सकता है,
- वह कर्मचारी / विदेशी नागरिक को दण्डित नहीं कर सकता है,

- वह कर्मचारी / विदेशी नागरिक को धमका नहीं सकता है,
- वह कर्मचारी / विदेशी नागरिक को किसी अन्य तरीके से दण्डित नहीं कर सकता है,
- वह विदेशी नागरिक के लिए रोजगार ढूंढने के प्रयास से मना नहीं कर सकता है. अथवा
- इनमें में किसी कार्यवाही की धमकी नहीं दे सकता है।

नियोजन मानक अधिकारी की शक्तियां

यदि ऐसा पाया जाता है कि किसी नियोक्ता ने किसी विदेशी नागरिक को उपरोक्त किसी कारणवश दण्डित किया है, तो ऐसे में नियोजन मानक अधिकारी के पास यह शक्ति है कि वह नियोक्ता को उस कर्मचारी को उसकी नौकरी पर बहाल करने का आदेश दे तथा/अथवा उस दण्ड के कारण कर्मचारी को होने वाली किसी क्षति की क्षतिपूर्ति करने का आदेश दे।

यदि ऐसा पाया जाता है कि किसी भर्तीकर्ता ने किसी विदेशी नागरिक को उपरोक्त किसी कारणवश दण्डित किया है, तो ऐसे में नियोजन मानक अधिकारी के पास यह शक्ति है कि इस नियम के उल्लंघन के परिणामस्वरूप कर्मचारी को होने वाली किसी क्षति की क्षतिपूर्ति करने का आदेश भर्तीकर्ता को दे।

यदि आप कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं या दावा दायर करना चाहते हैं

यदि EPFNA के बारे में आपके कोई सवाल हों, तो कृपया Ontario.ca/EPFNA पर जाएँ या रोजगार मानक सूचना केंद्र (Employment Standards Information Centre) को (416) 326-7160 (टोल फ़्री नंबर 1-800-531-5551) पर, या बहरों के लिए TTY 1-866-567-8893 पर कॉल करें। जानकारी कई भाषाओं में उपलब्ध है।

यदि आपको लगता है कि आपने EPFNA के तहत अपने अधिकार प्राप्त नहीं किए हैं और श्रम मंत्रालय के पास दावा दर्ज करना चाहते है, तो आप Ontario.ca/EPFNA पर ऐसा कर सकते हैं।

आपके पास EPFNA के तहत अपने अधिकारों के लिए दावा दर्ज करने हेतु साढ़े तीन वर्ष हैं। अगर EPFNA के तहत आदेश जारी किया जाता है तो कितनी राशि वसूल की जा सकती है, इसकी कोई सीमा नहीं है।

कृपया ध्यान दें कि ESA तथा EPFNA के तहत दायर दावों के लिए भिन्न समय सीमाएँ लागू होती हैं। **ESA और EPFNA के तहत दावा दायर करने के लिए अलग फ़ॉर्म इस्तेमाल किए जाते हैं।**

ESA के तहत अधिकारों और ESA के तहत दावा दायर करने के बारे में जानकारी के लिए, कृपया *आपकी रोजगार मानक अधिनियम, 2000 गाइड (Your Guide to the Employment Standards Act, 2000)* देखें जो Ontario.ca/ESAguide पर उपलब्ध है।